भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 371
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2024
सोमवार, 16 माघ, 1945 (शक)

महिला उद्यमशीलता

371. श्री सी.एन. अन्नादुरई: श्रीमती मंजुलता मंडलः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्योरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा शुरू किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में महिलाओं द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे स्टार्टअप्स को प्रदान की गई सहायता का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है।

सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना –** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को उनके लाभकारी रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। आरएसईटीआई ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल और उद्यमशीलता विकास में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे अपने स्वयं के लघु और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्व-रोज़गार बनने में सक्षम हो सकें। देश भर में कार्यरत 591 आरएसईटीआई में से 35 आरएसईटीआई तमिलनाडु

राज्य के 35 जिलों में कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु में वित्त-वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान दिनांक 31.12.2023 तक प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त महिला उम्मीदवारों की संख्या का जिले-वार विवरण **अनुबंध-1** पर है।

इसके अलावा, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कार्यक्रम के तहत एक उप-स्कीम है, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है। एसवीईपी एसएचजी परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करता है, जिसमें सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) (उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक समर्पित निधि) और व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) का संवर्ग शामिल है। एसवीईपी के अंतर्गत, एक ब्लॉक के लिए परियोजना लागत 6.50 करोड़ रुपए (भारत सरकार और राज्य का हिस्सा शामिल) है, जिसमें से भारत सरकार (भारत सरकार) का हिस्सा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% है जबकि यह शेष राज्यों के लिए 60% है। 31 दिसंबर, 2023 तक, तमिलनाडु राज्य में कुल 4409 उद्यमों को सहयोग दिया गया है। तमिलनाडु राज्य में एसवीईपी के तहत समर्थित उद्यमों का ब्लॉक/जिला-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**जिला**	**ब्लॉक**	**कुल समर्थित उद्यम** (31 **दिसंबर** 2023)
1	कांचीपुरम	तिरुपुरूर	2,350
2	मदुरै	तिरूमंगलम	120
3	नमक्कल	रासीपुरम और वेन्नंदुर	96
4	विल्लुपुरम	उलुंदुरपेट	1,843
	योग		4409

2. **वित्तीय सेवा विभाग -** प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए दिनांक 08.04.2015 को लॉन्च किया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय स्कीम है, तीन ऋण श्रेणियों अर्थात शिशु (50,000/- रुपए तक का ऋण), किशोर (50,000/- रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण) और तरूण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण) में कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन कार्यकलापों के लिए स्कीम के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। इस स्कीम के प्रारंभन से दिनांक 26.01.2024 तक पीएमएमवाई के तहत कुल 46.15 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इनमें से 31.20 करोड़ से अधिक ऋण (68%) महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य के लिए पीएमएमवाई के तहत स्वीकृत ऋणों का जिला-वार विवरण **अनुबंध- II** में है।

दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूआई) को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए सिडबी द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जो 8000 से अधिक

सक्रिय हैंड होल्डिंग एजेंसियों के माध्यम से संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण से लेकर ऋण आवेदन भरने तक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने देश भर में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को 2.16 लाख से अधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान की है। इस स्कीम के प्रारंभन के बाद से दिनांक 25.01.2024 तक इसमें से 1.82 लाख से अधिक ऋण (84%) महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य के लिए एसयूपीआई के तहत स्वीकृत ऋणों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में है।

3. **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** - सभी जेंडर के लिए देश भर में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस इकोसिस्टम बनाने के लिए, सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना संख्या 127 (ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्ट-अप' के रूप में मान्यता दी गई है। 31 दिसंबर 2023 तक, कुल 1,17,254 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 55,816 स्टार्ट-अप में कम से कम एक महिला निदेशक है। तमिलनाडु राज्य में, कुल 7,559 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं, जिनमें से 3,688 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है।

4. **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी)** ने तमिलनाडु राज्य में महिला उद्यमी-नीत स्टार्ट-अप सहित पूरे भारत में आईसीटी डोमेन में स्वदेशी उत्पादों को विकसित करने के लिए नवाचार आधारित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्टार्ट-अप केंद्रित कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की हैं। ये पहल जेंडर का विचार किए बिना स्टार्ट-अप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हैं और महिला उद्यमियों के लिए भी कार्यान्वित हैं। प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

(i) टीआईडीई 2.0 स्कीम: आईओटी, एआई, ब्लॉक-चेन रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्ट-अप का समर्थन करने में लगे इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स और विकास (टीआईडीई 2.0) स्कीम वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर राष्ट्रीय मामले के सात विषयगत क्षेत्रों में तकनीकी-स्टार्ट-अप को व्यापक सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम पांच वर्षों की अवधि में लगभग 2000 तकनीकी स्टार्ट-अप को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। टीआईडीई 2.0 स्कीम के तहत, निम्नलिखित 6 इनक्यूबेटर्स सेंटर तमिलनाडु राज्य में टीआईडीई 2.0 केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं:

क्र.सं.	टीआईडीई 2.0 केंद्र का नाम	जिले से संबंधित केंद्र	स्टार्ट-अप सहयोग
1.	फोर्ज एक्सेलेरेटर (कोयंबटूर इनोवेशन बिजनेस इनक्यूबेटर), कोयंबटूर	कोयंबटूर	26
2.	पीएसजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरियल पार्क (पीएसजी-एसटीईपी), पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर	कोयंबटूर	24
3.	आईआईटीएम इन्क्यूबेशन सेल (आईआईटी मद्रास इन्क्यूबेशन सेल), चेन्नई	चेन्नई	28
4.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (वीआईटीटीबीआई), तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	35

5.	ओएएसवाईए प्रौद्योगिकी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	9
6.	वेल टेक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, वेल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	12

(ii) फिनटेक पर उत्कृष्टता केंद्र (फिनब्लू): 5 वर्षों की अवधि में 58 स्टार्ट-अप के लक्षित लाभार्थी के साथ फिनटेक डोमेन में स्टार्ट-अप का सहयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) चेन्नई में फिनटेक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई। फिनटेक सीओई को तमिलनाडु सरकार और एसटीपीआई के साथ साझेदारी में भारत सरकार के एमईआईटीवाई द्वारा समर्थित किया जाता है।

(iii) समृद्ध स्कीम: माइटी ने 'प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (समृद्ध) के लिए माइटी का स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम' स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य संभावित सॉफ्टवेयर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को बड़े पैमाने पर चुनने और तेज करने के लिए मौजूदा और आगामी एक्सेलेरेटर का सहयोग करना है। समृद्ध स्कीम के अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि के लिए कुल 300 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाना है। समृद्ध स्कीम के तहत, तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित 2 त्वरक कार्य कर रहे हैं:

क्र.सं.	**एक्सेलेरेटर का नाम**	**शहर**	**स्टार्ट-अप सहयोग**
1.	कोयंबटूर इनोवेशन एंड बिजनेस इनक्यूबेटर - फोर्ज	कोयंबटूर	8
2.	क्रिसेंट इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन काउंसिल (सीआईआईसी)	चेन्नई	5

5. **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-** महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक स्कीम के रूप में 'मिशन शक्ति' - एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मिशन शक्ति की अंब्रेला स्कीम में "संबल" और "समर्थ्य" नामक दो उप-स्कीमें हैं। 'सामर्थ्य' उप-स्कीम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक घटक अर्थात महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) है। एचईडब्ल्यू का लक्ष्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का आभास हो। एचईडब्ल्यू के अंतर्गत सहायता महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, पिछड़े और आगे तक पहुंच की सुविधा सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और स्कीमबद्ध सेट-अप में मार्गदर्शन, संबद्धता और हैंड होल्डिंग पूरे देश में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकों के लिए संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए है।

6. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)**, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के नजदीक रोजगार के सुलभ अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत सीमांत राशि (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षीय जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत राशि सब्सिडी 35

प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है। इस परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व-योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10 प्रतिशत की तुलना में 05 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के प्रति पूर्ववर्ती अच्छे निष्पादन के आधार पर सहयोग दिया जाता है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत सीमांत राशि (एमएम) सब्सिडी के लिए अनुमेय अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण संबंधी पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 प्रतिशत) है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का विवरण **अनुबंध- IV** में दिया गया है।

7. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। निस्बड ने पीएम-जनमन परियोजना के तहत जनजातीय समुदाय के लिए एक उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित किया है। परियोजना के तहत, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 95 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

अनुबंध-I

'महिला उद्यमशीलता' के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 371 में संदर्भित अनुबंध।

आरएसईआईटी स्कीम के तहत तमिलनाडु राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 31.12.2023 तक प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त महिला उम्मीदवारों की संख्या का जिले-वार ब्योरा इस प्रकार है:

तमिलनाडु जिला आरएसईटीआई वार प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त			वित्त वर्ष - 2022-23				वित्त वर्ष - 2023-24 (31.12.2023 तक)			
क्र.सं.	जिला का नाम	आरएसईटीआई का नाम	योग		जिनमें से महिलाएं		योग		जिनमें से महिलाएं	
			प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त
1	अरियालूर	एसबीआई अरियालुर	822	589	595	548	721	338	631	322
2	कोयंबटूर	सीएएनबी कोयंबटूर	865	674	790	615	661	380	580	360
3	कुड्डालोर	इंदसेटी उड्डलोर	847	687	639	493	730	690	571	618
4	धर्मपुरी	इंदसेटी हरमापुरी	883	652	710	514	736	784	569	509
5	डिंडीगुल अन्ना	सीएएनबी डिंडीगुल	803	718	735	545	761	579	709	535
6	इरोड	कैनब इरोड	854	800	598	558	686	560	489	406
7	कांचीपुरम	इंदसेटी कांचीपुरम	832	854	772	758	741	587	691	535
8	कन्याकुमारी	आईओबी कन्याकुमारी	757	609	719	584	578	451	556	448
9	हरुर-धीरन	आईओबी करूर	803	596	775	570	775	381	687	366
10	नागपट्टनम	आईओबी मयिलादुथुराई	817	612	668	523	623	442	499	380
11	नमक्कल	इंदसेटी नमक्कल	842	765	737	670	660	470	604	429
12	पेरम्बलुर	आईओबी पेरम्बलूर	787	669	705	548	685	340	612	275
13	पुडुकोट्टई	आईओबी पुडुकोट्टई	801	599	651	462	664	478	502	415
14	रामनाथपुरम (रामनाड)	आईओबी रामनाथपुरम	838	593	687	527	720	513	643	466
15	सलेम	इंदसेटी सेलम	837	598	804	561	711	546	640	524
16	शिवगंगा (पसुम्पोन)	सीबी कराईकुडी	195	19	162	19	527	163	515	149
17	तंजावुर	आईओबी तंजावुर	820	664	694	606	647	496	613	466
18	थेनी	कैनब थेनी	765	602	640	464	631	525	465	435
19	तिरुवल्लुर	इंदसेटी तिरुवल्लूर	841	608	788	568	696	530	658	522
20	थिरुवरुर	आईओबी- आरएसईटीआई-तिरुवरूर	807	588	769	564	635	436	602	415
21	तिरुनेलवेली	आईओबी तिरुनेलवेली	833	609	811	599	681	508	677	489
22	तिरुवन्नामलाई	इंडसेटी तिरुवन्नमलाई	847	662	757	593	686	494	631	457
23	त्रिची	आईओबी तिरुचिरा-प्पल्ली (त्रिची)	796	674	699	518	697	688	589	555
24	तूतीकोर्न/थूथुकुडी	एसबीआई थूथुकुडी	814	743	802	682	687	350	614	324
25	वेल्लोर	इंडसेटी वेल्लोर	807	665	679	574	649	529	575	461
26	विल्लुपुरम	इंदसेटी विल्लुपुरम	838	771	724	625	710	606	573	521
27	विरुदनगर	आईओबी विरुद्धनगर	795	723	691	650	769	435	662	337
28	कृष्णागिरी	इंदसेटी कृष्णागिरि	591	466	426	346	517	50	388	49
29	तिरुपूर	सीएएनबी तिरुपुर	948	637	865	565	758	592	636	529
30	नीलगिरी	सीएएनबी द नीलगिरिस (ऊटी)	809	764	775	733	680	649	637	603
31	मदुरै	रुडसेटी मदुरै	890	712	618	518	720	507	535	413
32	रानीपेट	इंदसेटी रानीपेट	772	611	538	441	717	440	602	378
33	थिरुपाथुर	इंडेसेटी थिरुपाथुर	754	577	613	473	590	436	495	376
34	चेंगलपट्टू	आईबी चेंगलपट्टू	0	0	0	0	311	250	261	207
35	तेनकासी	आईओबी तेनकासी	0	0	0	0	94	0	93	0
योग			**26310**	**21110**	**22636**	**18014**	**22854**	**16223**	**19804**	**14274**

अनुबंध-II

शुरुआत से ही तमिलनाडु के लिए पीएमएमवाई महिला उद्यमियों के डेटा का जिला-वार ब्योरा इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला का नाम (तमिलनाडु)	संचयी (08.04.2015 से 26.01.2024 तक)	
		ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अरियालूर	210,143	838.08
2	चेंगलपेट	134,499	815.63
3	चेन्नई	1,527,314	6,887.45
4	कोयंबटूर	1,238,682	5,295.80

5	कुड्डालोर	1,377,708	5,361.87
6	धर्मपुरी	353,173	1,767.84
7	डिंडीगुल	646,623	2,721.51
8	इरोड	817,946	3,304.00
9	कल्लाकुरिची	118,301	668.10
10	कांचीपुरम	1,455,788	6,382.41
11	कन्याकूमारी	465,448	2,524.54
12	करूर	188,148	901.28
13	कृष्णागिरी	350,658	2,165.89
14	मदुरै	959,594	4,180.08
15	माइलादुत्रयी	55,712	350.67
16	नागपट्टिनम	745,115	2,894.80
17	नमक्कल	541,272	2,436.46
18	नीलगिरी	174,841	787.98
19	पेरम्बलुर	129,039	634.50
20	पुदुक्कोट्टई	409,725	1,734.40
21	रामनाथपुरम	313,154	1,525.38
22	रानीपेट	64,256	360.47
23	सलेम	1,076,225	4,675.15
24	शिवगंगा	376,662	1,812.97
25	तेनकासी	83,276	431.84
26	तंजावुर	1,081,585	4,181.27
27	थैनी	411,228	1,702.83
28	तिरुवल्लुर	1,059,745	4,864.69
29	थिरुवरुर	792,561	2,981.22
30	थूथुकुडी	469,955	2,083.88
31	तिरुचिरापल्ली	1,432,934	5,823.26
32	तिरुनेलवेली	725,073	3,029.65
33	तिरुपत्तूर	77,674	426.73
34	तिरुपूर	519,524	2,301.19
35	तिरुवन्नामलाई	818,328	3,411.87
36	वेल्लोर	1,306,315	5,062.31
37	विलुप्पुरम	1,041,347	4,041.21
38	विरुधुनगर	489,245	2,015.19
39	अन्य*	7,393,892	28,868.61
	योग	**35,581,502**	**141,524.91**

*वित्त वर्ष 2015-16 और कुछ एनबीएफसी/एमएफआई के लिए जिला-वार डेटा उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-III

शुरूआत से 25.01.2024 तक तमिलनाडु राज्य में महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए एसयूपीआई ऋण का ब्योरा इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला का नाम (तमिलनाडु)	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अरियालूर	78	15.98
2	चेंगलपट्टू	132	30.52
3	चेन्नई	3,569	837.95
4	कोयंबटूर	2,539	657.58
5	कुड्डालोर	371	74.30
6	धर्मपुरी	241	53.17
7	डिंडीगुल	299	76.44
8	इरोड	714	163.97
9	कल्लाकुरिची	5	2.30
10	कांचीपुरम	641	131.92
11	कन्नियाकुमारी	392	72.17
12	करूर	208	50.11
13	कृष्णागिरी	411	106.03
14	मदुरै	838	183.37
15	माइलादुत्रयी	9	1.37
16	नागपट्टिनम	236	41.45
17	नमक्कल	702	174.47
18	पेरम्बलुर	80	15.72
19	पुदुक्कोट्टई	139	23.90
20	रामनाथपुरम	79	17.12
21	रानीपेट	9	2.20
22	सलेम	1,289	318.30
23	शिवगंगा	214	45.32
24	तेनकासी	7	1.24
25	तंजावुर	374	62.79
26	नीलगिरी	89	16.48
27	थेनी	135	28.48
28	तिरुवल्लुर	568	123.34
29	थिरुवरुर	117	19.88
30	तिरुचिरापल्ली	671	163.13
31	तिरुनेलवेली	513	111.59
32	तिरुपथुर	21	3.22
33	तिरुपूर	772	200.14
34	तिरुवन्नामलाई	267	67.91
35	तूतीकोरिन	241	52.56
36	वेल्लोर	524	117.33
37	विल्लुपुरम	251	54.42
38	विरुधुनगर	323	79.96
सकल योग		**18,068**	**4,198.14**

अनुबंध-IV

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (30.01.2024 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य में महिलाओं के स्वामित्व वाली पीएमईजीपी इकाइयों का जिला-वार प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (30.01.2024 तक)	
जिला	महिला लाभार्थियों की संख्या	एमएम सब्सिडी	महिला लाभार्थियों की संख्या	एमएम सब्सिडी	महिला लाभार्थियों की संख्या	एमएम सब्सिडी	महिला लाभार्थियों की संख्या	एमएम सब्सिडी
अरियालूर	48	37.29	46	20.70	29	36.72	16	40.26
चेंगलपेट	24	68.98	34	76.56	43	111.35	41	116.62
चेन्नई	48	82.22	88	155.57	43	125.98	45	113.14
कोयंबटूर	76	409.68	98	469.02	123	668.52	95	591.89
कुड्डालोर	43	201.08	66	196.51	55	156.01	20	77.47
धर्मपुरी	33	160.98	21	74.05	38	160.89	22	139.62
डिंडीगुल	43	145.77	44	154.10	80	229.80	21	51.96
इरोड	97	392.95	96	376.42	84	374.92	63	289.83
कल्लाकुरिची	5	17.40	17	62.74	22	78.13	25	54.04
कांचीपुरम	45	92.04	60	94.74	56	83.99	85	149.70
कन्नियाकुमारी	86	151.68	98	143.40	71	151.38	101	119.74
करूर	25	126.91	47	214.92	70	196.76	59	118.81
कृष्णागिरी	47	212.88	48	191.15	46	248.02	49	309.53
मदुरै	58	159.28	84	201.98	116	254.85	95	223.16
माइलादुत्रयी	--	--	11	19.76	65	128.87	38	90.12
नागपट्टिनम	67	145.47	62	116.07	35	57.79	27	34.40
नमक्कल	83	459.50	122	641.22	145	841.19	91	575.61
नीलगिरी	32	35.62	23	24.99	78	44.85	49	31.39
पेरम्बलूर	23	39.55	28	45.17	38	91.56	27	46.02
पुडुकोट्टई	56	110.37	60	112.97	43	109.20	28	68.41
रामनाथपुअम	392	103.30	97	81.35	122	81.46	61	92.64
रानीपेट	11	47.08	23	48.77	82	117.31	16	37.37
सलेम	104	421.58	162	708.84	166	770.88	170	788.52
शिवगंगा	34	77.20	32	86.35	44	99.78	19	71.31
तेनकासी	33	33.34	51	44.32	84	73.15	79	75.93
तंजावुर	81	147.69	123	256.80	103	221.47	262	177.71
थेनी	27	56.88	32	60.24	48	105.87	44	94.30
तिरुचिरापल्ली	29	76.15	52	174.49	47	136.22	48	146.55
तिरुवल्लोर	58	189.97	85	260.29	75	209.40	34	111.46
थिरुवरुर	50	71.64	75	138.04	53	96.05	69	160.55
थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	285	151.73	405	217.00	198	176.90	243	145.52
तिरुनेलवेली	325	176.22	262	145.30	239	128.62	61	76.91
तिरुपत्तूर	14	99.15	40	128.66	25	81.84	27	49.20
तिरुपुर	81	509.29	70	384.17	85	608.59	89	493.91
तिरुवन्नामलाई	53	126.80	72	145.83	94	188.08	43	176.67
वेल्लोर	65	164.86	33	94.93	27	89.17	31	77.33
विल्लुपुरम	37	156.54	44	97.43	45	73.65	121	133.86
विरुधुनगर	45	117.72	45	153.57	39	140.13	77	252.84
सकल योग	**2663**	**5776.78**	**2856**	**6618.42**	**2856**	**7549.35**	**2491**	**6404.29**

****